Lecture-5

Topic-Formation of Constituent Assembly

Degree-II (H),Paper-3

Date-27-4-2021

By Rahul Kumar Jha
Dept.of Pol.sci.

संविधान सभा :-

1939 में विश्वयुद्ध छिड़ने के बाद, संविधान सभा की मांग को 14 सितम्बर, 1939 को कांग्रेस कार्यकारिणी द्वारा जारी किए गए एक लंबे वक्तव्य में दोहराया गया।

गांधीजी ने 19 नवंबर, 1939 को 'हरिजन' में ~~'द ओनली~~ 'द ओनली वे' शीर्षक के अंतर्गत एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने विचार व्यक्त किया कि "संविधान सभा ही देश की देशज प्रकृति का और लोकेच्छा का सही अर्थों में तथा पूरी तरह से निरूपण करनेवाला संविधान बना सकती है। उन्होंने घोषणा की कि सांप्रदायिक तथा अन्य समस्याओं के न्यायसंगत हल का

एकमात्र तरीका भी संविधान सभा ही है।

1940 के 'अगस्त प्रस्ताव' में ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को पहली बार आधिकारिक रूप से स्वीकार किया, भले ही स्वीकृति अप्रत्यक्ष तथा महत्वपूर्ण शर्तों के साथ थी।

क्रिप्स प्रस्तावों के द्वारा 'अगस्त प्रस्ताव' में उल्लेखनीय सुधार किए गए। इन प्रस्तावों के अनुसार नए संविधान के निर्माण का काम अब पूर्णतया न कि 'प्रायमिक रूप से भारतीय हाथों में होना था और ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट कथन दिया कि वह प्रस्तावित संविधान-निर्माण-निकाय द्वारा बनाये गए संविधान को स्वीकार करेगी। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद, मई, 1945 में यूरोप में युद्ध की समाप्ति तक भारत की संवैधानिक समस्या के समाधान के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया।

जुलाई, 1945 में, इंग्लैंड में नई लेबर सरकार सत्ता में आई। तब 19 सितम्बर, 1945 को वाइसराय लॉर्ड वेवल ने भारत के संबंध में सरकार की नीति की घोषणा की तथा यथाशीघ्र संविधान-निर्माण-निकाय का गठन करने के लिए महामहिम की सरकार के इरादे की पुष्टि की।

कैबिनेट मिशन ने अनुभव किया कि संविधान-निर्माण-निकाय का गठन करने की सर्वोचित संतोषजनक विधि यह होती कि उसका गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव के द्वारा किया जाता, किंतु ऐसा करने पर नए संविधान के निर्माण में अवांछनीय विलंब हो जाता। इसलिए, उनके अनुसार एकमात्र व्यवहार्य तरीका यही था कि हाल में निर्वाचित प्रांतीय विधान सभाओं का उपयोग निर्वाचक निकायों के रूप में किया जाए।

(CHAPTER CONTINUE.....)